संख्या-6/2021/801/63-व0उ0-2021-104(एच)/2018

प्रेषक,

सत्येन्द्र प्रताप सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2021

विषयः- पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय त्रैमास हेतु रू 62.50 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति की मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 250.00 करोड़ (रूपया दो अरब पचास करोड़ मात्र) मे से वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय त्रैमास हेतु धनराशि रू 62.50 करोड़ (रूपया बासठ करोड़, पचास लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा। उक्त धनराशि का उपभोग शासनादेश संख्या-1403/63-व0उ0-2019-60(एच)/2016टी0सी0-।। दिनांक 04.12.2019 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करके 01 माह में शासन के सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ का होगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि रू 62.50 करोड़ (रूपया बासठ करोड़, पचास लाख मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के अधीन लेखाशीर्षक-"2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-108-बिजली करघा उद्योग-04-पावरलूम बुनकरों को विद्युत दर में छूट की प्रतिपूर्ति-27-सब्सिडी' के नामें डाला जायेगा।

4- उक्त धनराशि व्यय करने में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021- 231/2021 दिनांक 22 मार्च 2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-6/2021/801(1)/63-व0उ0-2021 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, 14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड,14-अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, (वित्त) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
7- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6
9- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।